अनुदान संख्या 105 - युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 105–MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2579,30,00		2891,75,00	2856,98,84	–34,76,16
पूरक	Supplementary	312,45,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					20,21,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	493,70,00		844,28,00	813,91,80	–30,36,20
पूरक	Supplementary	350,58,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					30,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3476.16 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 31245.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3476.16 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of Rs.31245.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	1219.00	1379.00	1359.29	–19.71
पू.	S.	160.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services					
मू.	O.	236428.00				
पू.	S.	31084.00		274699.01	273866.00	–833.01
पु.	R.	7187.01				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	6935.00				
		1.00		0.88	. .	–0.88
पु.	R.	–6935.12				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	13336.00				
				11071.11	10473.55	–597.56
पु.	R.	–2264.89				

(I) 7869.00 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 7546.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" - खेलकूद और खेल" -

(क) "राष्ट्रीय महिला खेलकूद चैम्पियनशिप" - 110.00 लाख रु. राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेलकूद महासंघों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "विद्यालयों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलकूद और खेलों के संवर्धन संबंधी स्कीम" - 400.00 लाख रु. भारतीय खेल प्राधिकरण को स्कीम अंतरित किए जाने के कारण थे।

(ग) "नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" - 400.00 लाख रु. स्कीम में कुछ आशोधन/परिवर्तन किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.7869.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these Rs.7546.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" – "Sports and Games"–

(a) "National Sports Championship for women" – Rs.110.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from State Governments and National Sports Federations.

(b) "Scheme for Promotion of Sports and Games in Schools, Colleges and Universities" – Rs.400.00 lakhs – due to transfer of scheme to Sports Authority of India.

(c) "Nagar Palika Yuva Krida aur khel Abhiyan (NYKKA)" – Rs.400.00 lakhs – due to certain modifications/changes in the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र" - 1000.00 लाख रु.;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - 900.00 लाख रु.;

(ii) "राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम" - 340.00 लाख रु.;

(iii) "युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - 195.00 लाख रु.;

(ग) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल" -

(i) "भारतीय खेल प्राधिकरण" - 2601.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" - 150.00 लाख रु.; और

(iii) "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" - 1450.00 लाख रु.।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - युवा मामले और खेल मंत्रालय" - 1219.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 160.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1379.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, विदेश दौरे कम संख्या में किए जाने के कारण 19.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2204" - खेलकूद और खेल - राष्ट्रमंडल खेल" - 177400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 29800.00

(B) Major Head "2552" –

(a) "Sports and Youth Services – Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra" – Rs.1000.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students" –

(i) "National Service Scheme" – Rs.900.00 lakhs;

(ii) "National Volunteers Scheme" – Rs.340.00 lakhs;

(iii) "National Programme for Youth and Adolescent Development" – Rs.195.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services - Sports and Games" –

(i) "Sports Authority of India" – Rs.2601.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(ii) "Incentive to Sports Persons" – Rs.150.00 lakhs; and

(iii) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" – Rs.1450.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Youth Affairs and Sports" – the original provision of Rs.1219.00 lakhs was augmented to Rs.1379.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.160.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.19.71 lakhs – due to less number of foreign tours undertaken.

(B) Major Head "2204" – "Sports and Games – Commonwealth Games" – the original provision

लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 207200.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सभी प्रतियोगिता स्थलों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लगाए जाने के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम से कम मांग प्राप्त होने के कारण 773.44 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

of Rs.177400.00 lakhs was augmented to Rs.207200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.29800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.773.44 lakhs – due to receipt of less demand from Electronics Corporation of India (ECIL) for installation of Integrated Security System in all competition venues.

(III) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - 241.98 लाख रु. की बचत (964.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपायत किए जाने के कारण हुई।

(खा) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" - 338.39 लाख रु. की बचत (2305.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अखिल भारतीय और राज्य स्तर के प्रत्यायित गैर-सरकारी संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और बाहरी अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम" - 187.17 लाख रु. की बचत (2860.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चुनाव आचरण संहिता और वजीफे की संशोधित दरें लागू न किए जाने की वजह से कुछ राज्यों में स्वयंसेवकों की तैनाती न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "खेलकूद और खेल" -

(क) "राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि" - 613.00 लाख रु. की बचत (1425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगामी राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए निधियों का पुनर्विनियोग भारतीय खेल प्राधिकरण को किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "विकलांगों के बीच खेलों को बढ़ावा" - 425.65 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2204"— savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Service Scheme" – saving of Rs.241.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.964.90 lakhs) was due to economy measures.

(B) "Youth Welfare Programmes for Students - National Programme for Youth and Adolescent Development" – saving of Rs.338.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2305.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from All India and State Level accredited Non-Governmental Organisations and non-conducting of programmes by external agencies.

(C) "Youth Welfare Programmes for Non-Students - National Volunteer Scheme" – saving of Rs.187.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2860.00 lakhs) was due to non-deployment of volunteers in few States owing to election code of conduct and non-implementation of revised stipend rates.

(D) "Sports and Games" –

(a) "National Sports Development Fund" – saving of Rs.613.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1425.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to re-appropriation of funds to Sports Authority of India for upcoming Commonwealth Games, 2010.

(b) "Promotion of Sports among Disabled" – saving of Rs.425.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in finalization of the scheme.

(ग) ''मादक औषध रोधी कार्यकलाप'' - 131.32 लाख रु. की बचत (1675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान'' - 314.28 लाख रु. की बचत (9500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यहवार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का विनिमय'' - 149.81 लाख रु. की बचत (335.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल द्वारा अन्य देशों के कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 170.50 लाख रु. की बचत (231.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 2253.95 लाख रु. की बचत (7688.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब होने की वजह से वजीफे की बढ़ी हुई दरें लागू न होने के कारण हुई।

(ख) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान'' - 735.71 लाख रु. की बचत (5050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 178.43 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक थीं।

(c) "Anti-Doping Activities" – saving of Rs.131.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1675.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the organization.

(d) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" – saving of Rs.314.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9500.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals.

(E) "International Cooperation - Exchange of Delegation of Youth at International level" – saving of Rs.149.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.335.00 lakhs) was due to less visits of Indian Youth delegation to other countries.

(IV) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants - Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Students - National Service Scheme" – saving of Rs.170.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.231.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims from the State Governments.

(B) "Grants for Central Plan Schemes" –

(a) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme" – saving of Rs.2253.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7688.00 lakhs) was due to non-implementation of enhanced rate of stipend owing to delay in receipt of approval from Expenditure Finance Committee.

(b) "Sports and Youth Services – Sports and Games - Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" – saving of Rs.735.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5050.00 lakhs) was due to receipt of less demand from various State Governments.

(V) Under three heads savings of Rs178.43 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 19 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10707.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र संगठन'' - 2654.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2653.80 लाख रु. था।

(खा) ''शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर - 110.00 लाख रु.।

(गा) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 6815.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6814.80 लाख रु. था।

(ख) ''खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता'' - 778.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 630.07 लाख रु. था।

(ग) ''खिलाड़ियों को प्रोत्साहन'' - 350.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 349.58 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204'' - ''छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 253.92 लाख रु. का अधिक व्यय (184.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो नए कार्यक्रमों अर्थात राजीव गांधी साहसिक कार्य और वृहत ग्रीष्म शिविर को बड़े स्तर पर शुरू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 297.71 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) उड़ीसा और उत्तराखंड में युवा उत्सव आयोजित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनिर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly (Rs.10707.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head "2204" – under the following heads:

(A) "Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" – Rs.2654.00 lakhs - Actual excess, however, was Rs.2653.80 lakhs.

(B) "Physical Education - Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior" – Rs.110.00 lakhs.

(C) "Sports and Games" –

(a) "Sports Authority of India" – Rs.6815.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6814.80 lakhs.

(b) "Assistance to Promotion of Sports Excellence" – Rs.778.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.630.07 lakhs.

(c) "Incentive to Sports Persons" – Rs.350.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.349.58 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" – "Youth Welfare Programmes for Students – National Service Scheme" – excess of Rs.253.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.184.10 lakhs) was due to requirement of additional funds for introduction of two new programmes namely Rajiv Gandhi Adventures and Mega Summer Camp on large scale.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Sports and Youth Services-Youth Welfare Programme for Non-Students - National Programme for Youth and Adolescent Development" – excess of Rs.297.71 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds for conducting Youth Festival in Orissa and Uttarakhand and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	10253.00	7328.00	7291.80	–36.20
पु.	R.	–2925.00			

(I) 78.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of Rs.78.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद स्टेडियम - उपस्कर और स्टेडियमों की सज्जा" के अंतर्गत 3025.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रमंडल खेल संघ के मानक/अनुमोदित मानदंडों के अनुसार स्टेडियमों में लगाए जाने वाले विभिन्न खेल उपस्करों की सूची को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Sports and Youth Services – Sports Stadia – Equipments and Furnishing of Stadia" – saving of Rs.3025.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-finalisation of list of various sports equipments for installation in Stadia as per standards/approved norms of Commonwealth Games Federation.

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत हुए 66.80 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थीं।

4. The above savings were partly offset by an excess of Rs.66.80 lakhs under one head constituting 27 percent of the sanctioned provision.